रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2013/ज्येष्ठ 10, 1935
No. 263] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2013/JYAISTHA 10, 1935

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 मई, 2013

सा0का0नि0 347 (अ)- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ख-राजपत्रित) नियम, 2002 और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ग) नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा:-

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "ए सी पी" से केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से नियम 5 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से समूह (ख) पद सेवा के किसी श्रेणी में प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार के लिए अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "कर्तव्य पद" से अनुसूची-1 में सम्मिलित कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "श्रेणी" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सेवा की श्रेणियां अभिप्रेत है;

(ज) " अनुसूची" से इन नियमों की संशोधित अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) " अनुसूचित जातियां" और " अनुसूचित जनजातियां" का वही अर्थ होगी जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः दिए गए हैं ;

(ञ) "सेवा" से धारा 4 के अधीन गठित अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का समूह ख पद अभिप्रेत है ;

3. विस्तार :- पद की संख्या जो अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) (समूह ख) के विभिन्न श्रेणियों में रखे जाएंगे इन नियमों की संशोधित अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का गठन :

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के नाम से एक सेवा गठित होगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट समूह "ख" सांख्यिकी कृत्यकारी पदों से मिलकर बनेगी ;

5. नियंत्रक प्राधिकारी : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नियंत्रक प्राधिकारी होगा ।

6. सेवा का भविष्यवर्ती अनुरक्षण :

(1) अनुसूची-1 और अनुसूची 5 में निर्दिष्ट किसी श्रेणी में रिक्तियां इन नियमों में यथा उपबंधित रीति से भरी जाएंगी ।

(2) भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति या आमेलन के लिए चयन क्षेत्र जिसमें निम्नतर श्रेणी या निम्नतर श्रेणियों में अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा सम्मिलित है, सेवा की अपनी-अपनी श्रेणियों के पदों की प्रोन्नति या आमेलन यथास्थिति इन नियमों की संशोधित अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रकार से होगा ।

(3) सेवा की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन नियमों की संशोधित अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और अनुभव और आयु सीमा के आधार पर आयोजित खुली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा करायी जाएगी ।

(4) सेवा की श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में प्रोन्नतियां इन नियमों को संशोधित अनुसूची-4 में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर होंगी ।

(5) सेवा की श्रेणी1 में प्रोन्नतियां इन नियमों की अनुसूची-6 में यथा विनिर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के आधार पर उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर प्राप्त अंकों पर विचार करके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा योग्यता क्रम के आधार पर की जाएगी ।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

7. कर्तव्य पदों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरा जाना :

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां नियंत्रक प्राधिकारी की रिक्त पदों की संख्या पर विचार करते हुए यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त निकायों या अर्द्धसरकारी संगठनों में कार्यरत ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं और अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं से किसी श्रेणी में रिक्त कर्तव्य पदों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरा जा सकेगा ।

(2) ज्येष्ठताः सेवा के लिए भर्ती हुए सदस्यों की ज्येष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा इसको ध्यान रखते हुए समय समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

टिप्पण : ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए सेवा के सदस्यों द्वारा, 01 जनवरी, 2006 को नियमित आधार पर धारण किए हुए वेतनमान को हिसाब में लिया जाएगा न कि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम (एसीपी) के अधीन स्वीकृत वेतनमान को, यदि कोई हो। तथापि पहले से स्वीकृत संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वापस नहीं होगा । तथापि अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ख राजपत्रित) नियम, 2002 और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ग) नियम, 2002 के अधीन गैर कृत्यकारक पदों पर प्रोन्नति पुनरीक्षित वेतनमान में स्थानन के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

9. परिवीक्षा या प्रशिक्षण :

(1) सेवा के लिए सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ;

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकता है:

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा किए जाने के लिए कारणों के साथ संबंधित अभ्यर्थी को लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार के दौरान सरकार द्वारा अपेक्षित ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं या परीक्षणों (जिसके अंतर्गत हिंदी में परीक्षा भी है) जैसा कि सरकार उपयुक्त समझें परिवीक्षा अवधि के समाधानप्रद पूर्ण होने की शर्त के रूप में पूरा करना होगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के अवसान पर अभ्यर्थी यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त विचारित होता है तो अपनी नियुक्ति में संपुष्ट होगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के अवसान पर यथास्थिति नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है कि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या यदि ऐसे परिवींक्षा या विस्तार की अवधि के दौरान यह समाधान है कि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो ऐसे परिवीक्षा या विस्तार की अवधि के अवसान पर उसे उसके अधिष्ठायी पद से सेवान्मुक्त या प्रत्यावर्तित कर सकेगा या ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे ।

10. सेवा के लिए नियुक्तिः सेवा के लिए सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

11. नियुक्ति की तारीखः

किसी व्यक्ति के नियमित आधार पर सेवा या पद के लिए नियुक्ति की तारीख-

(क) सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2 पद पर सीधी भर्ती की दशा में श्रेणी या पद पर, यथास्थिति, पदग्रहण की वास्तविक तारीख ही समझी जाएगी ।

(ख) अधिकारी की सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1 और सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-11 या पद पर प्रोन्नति की दशा में वह तारीख जिसको वह श्रेणी या पद में यथास्थिति प्रोन्नति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किया गया था, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो ।

12. प्रतिनियुक्तिः

सेवा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर किसी पद पर सेवा के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी ।

13. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

14. सेवा की अन्य शर्तें :

सेवा के सदस्यों की शर्तें उन मामलों की बाबत जो इन नियमों अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है यथा आवश्यक परिवर्तन सहित और केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा की बाबत जारी किए गए आदेश के अधीन साधारणतया वहीं होंगे जिस रूप में केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को लागू है ।

15. निरर्हताः वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकेगी ।

16. भारत के किसी भाग में सेवा का दायिक्तः

सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा के लिए दायित्वाधीन होंगे ।

17. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

18. निर्वचनः

इन नियमों के निर्वचन के बारे में यदि कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो उसका विनिश्चय नियंत्रक प्राधिकारी करेगा ।

[फा. सं. 12016/07/2008-एसएसएस]

एस. एस. बधावन, संयुक्त सचिव

अनुसूची -1

(नियम 3, नियम 4 और नियम 6 का खंड (i) देखें)

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा में सम्मिलित समूह 'ख' पदों के वेतनमान, श्रेणियां

क्रम सं0	श्रेणी	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनबैंड-2	ग्रेड वेतन या वेतनमान	पद संख्या
1	सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1	ज्येष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	साधारण केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अननुसचिवीय	9300-34800 रुपए	4600 रुपए	1754
2.	सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	साधारण केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अननुसचिवीय	9300-34800 रुपए	4200 रुपए	2189

टिप्पणः

(i) अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ख-राजपत्रित) नियम, 2002 के अधीन सांख्यिकी अन्वेषकों के श्रेणी-1 और श्रेणी-2 पदों पर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों क्रमशः 7450-11,500 रुपए और 6500-10,500 रुपए में ऐसे सभी अधिकारी जो नियमित आधार पर नियुक्त हैं और 01 जनवरी, 2006 को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए है, विलय हुए पुनरीक्षित वेतन बैंड /वेतनमान 9300-34800 रुपए (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन 4600 रुपए में रखे गए समझे जाएंगे और पुनः पदनामित सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1 के रूप में होंगे ।

(ii) अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ख-राजपत्रित) नियम, 2002 के सांख्यिकी अन्वेषकों श्रेणी-3 और श्रेणी-4 पदों पर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों क्रमशः 5500-9000 रुपए और 5000-8000 रुपए में ऐसे सभी अधिकारी जो नियमित आधार पर नियुक्त हैं और 01 जनवरी, 2006 की तारीख को जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर पद धारण किए हुए है,विलय हुए पुनरीक्षित वेतन बैंड या वेतनमान 9300-34800 रुपए (वेतन बैंड-2) + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में रखे गए समझे जाएंगे और पुनःपदनामित अन्वेषक श्रेणी-2 के रूप में होंगे ।

(iii) अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ख-राजपत्रित) नियम, 2002 के अधीन ऐसे सभी अधिकारी 01.01.2006, जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, के पश्चात् पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 7450-11,500 रुपए में नियमित आधार पर सांख्यिकी अन्वेषक के श्रेणी -1 पद पर नियुक्त या प्रोन्नत किए गए थे ऐसे नियुक्ति या प्रोन्नति की तारीख से पुनरीक्षित वेतन बैंड या वेतनमान में 9300-34800 रुपए (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन 4600 रुपए में रखे गए समझे जाएंगे ।

(iv) अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ख-राजपत्रित) नियम, 2002 के अधीन ऐसे सभी अधिकारी जो यद्यपि 01.01.2006 की तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, के पश्चात् पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 6550-10,500 रुपए में सांख्यिकी अन्वेषक के श्रेणी -2 पद पर नियमित आधार पर नियुक्त या प्रोन्नत किए गए थे परंत 01.01.2006 को अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के श्रेणी-3 पद को धारण किए हुए थे उन्हें भी 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैंड या वेतनमान में 9300-34800 रुपए (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन 4200 में सेवा की श्रेणी 2 में नियुक्त हुए समझे जाएंगे और सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी 2 के रूप में पुनः पदनामित होंगे ।

(v) अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह-ग) नियम, 2002 के अधीन ऐसे सभी अधिकारी जो यद्यपि 01 जनवरी, 2006 की तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित पूर्व वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, के पश्चात् पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 5500-9000 रुपए में साख्यिकी अन्वेषक के श्रेणी-3 में नियमित आधार पर नियुक्त या प्रोन्नत किए गए थे परंतु 1.1.2006 को अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के श्रेणी-4 पद को धारण किए हुए थे भी 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैंड या

वेतनमान 9300-34800 रुपए (वेतन बैंड-2) + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में सेवा की श्रेणी में नियुक्त समझे जाएंगे और सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2 के रूप में पुनः पदनामित होंगे ।

(vi) ऐसे सभी अधिकारी जो नियमित आधार पर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 5000-8000 रुपए सांख्यिकी अन्वेषक के श्रेणी-4 के पदों पर नियुक्त या प्रोन्नत किए गए थे अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ग) नियम, 2002 के अधीन भी 01 जनवरी, 2006 की तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित पूर्व वेतन संरचना का विस्तार किया गया है ऐसी नियुक्ति या प्रोन्नति की तारीख से पुनरीक्षित वेतन बैंड या वेतनमान 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में सेवा की श्रेणी-2 में नियुक्त हुए समझे जाएंगे ।

(vii) ऐसे अभ्यर्थी जो अधीनस्थ सांख्यिकी (समूह ख) नियम, 2002 और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (समूह ग) नियम, 2002 के अनुसार आमेलित नहीं हो सके हैं इन नियमों के नियम 3(v) के अनुसार उप-नियम (iii) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर रहते हुए समुचित श्रेणी में आमेलन के लिए विचारित होंगे;

(viii) सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात् काडरीकृत किए गए पदों पर पदधारियों की नियुक्ति और आमेलन चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर विचारित होगा जो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित होगी और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के उप महानिदेशक (डीडीजी) के अध्यक्ष के रूप में और भारत सरकार के उप सचिव रैंक से अन्यून तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

अनुसूची 2

[नियम 6(2) देखें]

भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति या आमेलन के लिए चयन क्षेत्र और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (सीएसएस) के समूह 'ख' कार्यालय पदों पर प्रोन्नति या आमेलन के लिए निम्नतर श्रेणी या श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक सेवा ।

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1	शत-प्रतिशत निम्नानुसार प्रोन्नति द्वारा: (i) सत्तर प्रतिशत रिक्तियां चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी; (ii) तीस प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के आधार पर भरी जाएंगी जिसके न हो सकने पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा । सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अनुसूची -4 में विनिर्दिष्ट रूप में संचालित की जाएगी ; परंतु यह कि जब तक ऐसे सभी पदधारी जो इन नियमों के आरंभ के तारीख को वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए और पूर्व श्रेणी-3 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 5500-9000 रुपए) और श्रेणी-4 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 5000-8000 रुपए) में दस वर्ष या उससे अधिक की सम्मिलित नियमित सेवा रखते हुए सांख्यिकी अन्वेषक	(1) चयन के आधार पर प्रोन्नति के लिए (i) ऐसे सांख्यिकी अन्वेषक जिनकी श्रेणी-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है ; (ii) ऐसे सांख्यिकी अन्वेषक, जिनकी श्रेणी-2, वेतन बैंड-2, 9300-34800+ग्रेड वेतन 4200 रु0 और श्रेणी-2 में, वेतन बैंड-2, 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 और पूर्व श्रेणी- 3 (पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान 5000-9000) में और पूर्व श्रेणी-4 (पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान 5000-8000 रुपए) में

		श्रेणी-2 का पद धारण किए हैं सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1 पद के लिए प्रोन्नति हेतु विचारित हो रहे हैं कोई विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होगी । उसके पश्चात् पद को उपरोक्त भर्ती की पद्धति द्वारा भरा जाएगा ।	पांच वर्ष या उससे अधिक की सम्मिलित सेवा है । (2) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति के लिएः ऐसे सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2 जिन्होंने वेतन बैंड-2 9300-34800रुपए + ग्रेड वेतन 4200 में पांच वर्ष की नियमित सेवा है और परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होंगे ।
2.	सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2	(i) दस प्रतिशत चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती।	(i) प्रोन्नति के लिएः ऐसे अधिकारी जिनकी वेतन बैंड-1 के वेतनमान 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा है या ऐसे अधिकारी जिनकी वेतन बैंड-1 वेतनमान 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए में जिन्होंने नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सांख्यिकी कृत्य को ध्यान में रखते हुए पोषक प्रवर्ग के पदों के रूप में मान्य की गई विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में दस वर्ष की नियमित सेवा है, सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2 में प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे । (ii) **आमेलन के लिए:** ऐसे अधिकारी जिनकी वेतन बैंड-2 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 की श्रेणी में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सांख्यिकी कृत्य को ध्यान में रखते

			हुए पोषक प्रवर्ग के पदों के रूप में मान्य की गई विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में तीन वर्ष की नियमित सेवा है, सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2 में आमेलन के लिए पात्र होंगे । (iii) सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसची-3 में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

टिप्पणः प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

अनुसूची-3

[नियम 6(3) देखें]

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा में सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी -2 कर्तव्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और आयु सीमा

आयु सीमा : 32 से अधिक नहीं

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

शैक्षिक अर्हताः

सेवा के सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-2 श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं अवश्य अभिप्राप्त करेंगे, अर्थात् :—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 12वीं स्तर पर गणित में कम से कम साठ प्रतिशत के साथ किसी विषय में बैचलर डिग्री ;

या

(ख) डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के साथ किसी विषय में बैचलर डिग्री ।

टिप्पणः अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

अनुसूची-4

[नियम 2(घ) और 6(4) देखें]

समूह “ ख” विभागीय प्रोन्नति समिति अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा में समूह “ ख” पदों में प्रोन्नति या पुष्टि के मामलों के संबंध में विचार के लिए

क. प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. अपर महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय -अध्यक्ष

2. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय -सदस्य

3. उप सचिव या निदेशक, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा खंड -सदस्य

ख. पुष्टि के संबंध में विचार के लिए समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय , -अध्यक्ष
 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

2. निदेशक,क्षेत्र संकाय प्रभाग -सदस्य
 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

3. उप सचिव या निदेशक, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा खंड -सदस्य
 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुसूची- 5

[नियम 6(1) देखें]

मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की सूची जहां सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 पद स्थित हैं (अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा में काडरीकृत)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम	सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1	सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1
1.	कृषि मंत्रालय		
	कृषि और सहकारिता विभाग	10	08
	कृषि और लागत मूल्य आयोग	04	02
	विपणन निरीक्षण विभाग	04	05
	पौध संरक्षण और भंडारण विभाग	01	00
	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	12	26
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	02	03
	उर्वरक विभाग	01	01
3.	नागर विमानन मंत्रालय		
	नागर विमानन महानिदेशालय	2	2
4.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
	आपूर्ति और व्ययन महानिदेशालय	9	19
	विदेश व्यापार महानिदेशालय	02	00

	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	00	02
	कार्यालय आर्थिक सलाहकार औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	02	02
5.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
	डाक विभाग	0	4

6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	02	01
	उपभोक्ता मामले विभाग	04	06
	वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा विभाग	0	2
7.	संस्कृति मंत्रालय		
	भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण	06	08
8.	पूर्व उत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	02	03
9.	वित्त मंत्रालय		
	राष्ट्रीय बचत संस्थान	00	01
	व्यय विभाग	05	00
10.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	31	48
	केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	0	2
	केन्द्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान ब्यूरो	0	18
	राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान	0	5
	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान	0	2
	अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान	4	0
	आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग	2	0

	राष्ट्रीय संक्रामक रोग केन्द्र	2	8
11.	भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय	02	02
	लोक उपक्रम ब्यूरो	03	00
12.	गृह मंत्रालय	0	01
	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	02	00
	पुलिस अनुसंधान एवं सुधार ब्यूरो		
13.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग	10	05
14.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
	भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार	01	02
15.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	00	03
	श्रम ब्यूरो	08	24
	खान सुरक्षा महानिदेशालय	06	09
	रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय	12	18
	महानिदेशक कारखाना सलाहकार और श्रम संस्थान	01	01
16.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय		
	आयुक्त लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रभाग	38	01
17.	खान मंत्रालय		
	भारतीय खान ब्यूरो	19	47
18.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	01	01
19.	योजना मंत्रालय		
	योजना आयोग	02	03
	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	02	02
20.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	03	03
21.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	11	11
22.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		

	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकाय प्रभाग)	1452	1775
	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	55	86
	समन्वय और प्रकाशन विभाग	02	01
23.	जल संसाधन मंत्रालय	00	01
	केन्द्रीय जल आयोग	11	14
24.	विद्युत मंत्रालय		
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	02	00
25.	शहरी विकास मंत्रालय		
	राष्ट्रीय भवन संगठन	04	00
26.	पूर्व-उत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2	3
	कुल	**1754**	**2189**

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

अनुसूची - 6

[नियम 6(5) देखें]

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) का विवरण

1.	परीक्षा	अधीनस्थ सांख्यिकी (एसएसएस) सेवा के सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-II (ग्रेड वेतन 4200) (समूह 'ख' राजपत्रित) से सांख्यिकी अन्वेषक श्रेणी-1 (ग्रेड वेतन-4600 रुपए) (समूह 'ख' राजपत्रित) में प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	
2.	परीक्षा की योजना	क. लिखित	
		प्रश्न पत्र-1	सामान्य ज्ञान और ऐप्टीट्यूड परीक्षण अवधि-2 घंटे और अंक-100
		प्रश्न पत्र-2	आधारभूत और कार्यालयी सांख्यिकी अवधि-2 घंटे और अंक-100
		ख.परीक्षा के वर्ष से पिछले पांच वर्ष की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन	अंक-50
3.	परीक्षा केन्द्र	दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, बैंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी और कोई अन्य केन्द्र जो	

		नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

टिप्पणी- कोई प्रतीक्षा सूची नहीं अनुरक्षित की जाएगी ।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAME IMPLEMENTATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2013

G.S.R. 347(E).–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Subordinate Statistical Service (Group B- Gazetted) Rules, 2002 and the Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely: –

1. Short title and commencement:-

(1) These Rules may be called the Subordinate Statistical Service Rules, **2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these Rules, unless the context otherwise requires –

(a) "ACP" means the Assured Career Progression Scheme for the Central Government Civilian Employees;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Controlling Authority" means the controlling Authority referred to in rule 5;

(d)"Departmental Promotion Committee" means a Committee specified in Schedule IV for considering the cases of promotion or confirmation in any grade of Group B post of the Service;

(e) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule-I

(f) "Government" means the Central Government;

(g) "Grade" means any of the Grades of the Service specified in Schedule I;

(h) "Schedule" means a schedule amended to these Rules;

(i) "Scheduled Castes" and "Schedule Tribes" shall have same meaning respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(j) "Service" means the Group B posts of the Subordinate Statistical Service constituted under section 4;

3. Scope:- Number of posts that will be placed in different grades of Subordinate Statistical Service (SSS) [Group B] is specified at Schedule I amended to these rules.

4. Constitution of the Subordinate Statistical Service:

There shall be constituted a service known as the Subordinate Statistical Service (SSS) consisting of Group "B" Statistical function posts as specified in Schedule – I annexed to these rules. The Group 'B" posts of the service shall consist of person's appointed to the service under these rule:

5. Controlling Authority:

The Ministry of Statistics and Programme Implementation shall be the Controlling Authority.

6. Future maintenance of Service:

(1) The vacancies in any of the grades referred to in **Schedule-I and Schedule V** shall be filled in the manner as provided in these rules.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion or absorption, including the minimum qualifying service required in the lower grade or lower grades, as the case may be, for promotion or absorption to the posts in respective grades of the Service shall be as specified in **Schedule-II** amended to these rules**.**

(3) The direct recruitment to the Service shall be made on the basis of open competitive examination to be held by the Staff Selection Commission on the basis of educational and other qualifications and experience and age limit as specified in **Schedule-III** amended to these rules**.**

(4) The promotions to Grade I and Grade II of the Service shall be on the basis of selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as specified in **Schedule-IV** amended to these rules**.**

(5) The promotions to Grade I of the Service on the basis of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) as specified at **Schedule VI** annexed to these rules shall be made on the basis of the order of merit recommended by the Controlling Authority, taking into account the total marks obtained by the members in the written departmental examination and the marks obtained on the assessment of Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Report (APAR), as specified in that Schedule**.**

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

7. Filling of duty posts by Deputation (including short-term contract):

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, where the Controlling Authority is of the opinion that considering the number of vacant posts, it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill up vacant duty posts in any grade by deputation (including short-term contract) from amongst officers working in the Central Government or the State Governments or Union Territories, Public Sector Undertakings (PSU) or recognized research institutions or universities, statutory or autonomous bodies or semi-government organisations holding analogous posts and having the requisite qualifications as specified in **Schedule – III.**

(2) The period of deputation or short-term contract shall be for a period not exceeding three years.

8. Seniority:

The seniority of the members recruited to the Service shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in this regard from time to time.

Note: For determination of seniority, the pay scales held by the members of the Service on regular basis as on 1st January 2006, and not the scales granted under the Assured Career Progression (ACP) Scheme, if any, shall be taken into account. The Assured Career Progression (ACP) already granted shall, however, not be withdrawn. However, promotion to the Non-functional Grades under the Subordinate Statistical Service (Group B- Gazetted) Rules, 2002 and Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002 shall be taken into account for the purpose of placement in the revised scales.

9. Probation or Training:

(1) Every candidate appointed to the service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years;

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks, after the expiry of initial period of probation and communicated in writing to the concerned candidate together with reasons for so doing within the said period.

(2) During the period of probation or any extension thereof, the candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of probation.

(3) On expiry of the period of probation or any extension thereof, the candidate shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in their appointment.

(4) If, on expiration of the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Controlling Authority is of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment, or if any time during such period of probation or extension, it is satisfied that he will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension, it may discharge or revert him to his substantive post or pass such other orders as it thinks fit.

10. Appointment to the Service

All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

11. Date of Appointment:

The date of appointment of a person to the Service or post on a regular basis shall -

(a) in the case of a direct recruit to Statistical Investigator Grade II or post be deemed to be the date of his actual joining the grade or post, as the case may be; and

(b) in the case of officers promoted to Statistical Investigator Grade I and Statistical Investigator Grade II or post, be the date on which he was included in the Select List for promotion to that grade or post as the case may be, or the date on which he was appointed to the grade or post as the case may be, whichever may be later.

12. Deputation:

Any officer of the Service may be required by the Controlling Authority to serve in any post on deputation for a specified period as decided by it.

13. Saving

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

14. Other Conditions of Service

The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rule's, shall, ***mutatis mutandis*** and subject to any order issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

15. Disqualification

No person shall be eligible for appointment to the Service,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person, shall eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

16. Liability for Service in any part of India:

Officers appointed to the Service shall be liable to be serve anywhere in India.

17. Power to relax:

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

18. Interpretation:

If any question as to the interpretation of these rules arises, the controlling authority shall decide the same.

[F. No. 12016 /07/2008- SSS]

S. S. BADHAWAN, Jt. Secy.

Schedule I

[See, rule 3 and 4, clause (1) of Rule 6]

Grades, Scales of Pay of Group "B" posts included in the Subordinate Statistical Service

Sl. No.	Grade	Designation	Classification	Pay Band - II	Grade Pay or Pay Scale	Number of post
1.	Statistical Investigator Grade I	Senior Statistical Officer	Central Civil Service, Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34800	Rs. 4600	1754
2.	Statistical Investigator Grade II	Junior Statistical Officer	Central Civil Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34800	Rs. 4200	2189

Note:

(i) All the officers appointed under Subordinate Statistical Service (Group B – Gazetted) Rules, 2002 to Grade I and Grade II posts of Statistical Investigators on regular basis in the pre-revised scales of Rs. 7450-11,500 and Rs. 6500-10,500 respectively and holding such posts on regular basis as on 1st January, 2006 shall be deemed to have been placed in the revised merged Pay Band/scale of pay of Rs. 9300-34800 (PB-2) Plus Grade Pay of Rs. 4600 and re-designated as Statistical Investigator Grade I.

(ii) All the officers appointed under Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002 to Grade III and Grade IV posts of Statistical Investigators on regular basis in the pre-revised scales of Rs. 5500-9000 and Rs. 5000-8000 respectively and holding such posts on regular basis as on 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to have been placed in the revised merged Pay Band or scale of pay of Rs. 9300-34800 (PB-2) Plus Grade Pay of Rs. 4200 and re-designated as Statistical Investigator Grade II.

(iii) All the officers who were appointed or promoted to Grade I post of Statistical Investigators on regular basis in the pre-revised scales of Rs. 7450-11,500 after 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, under Subordinate Statistical Service (Group B - Gazetted) Rules, 2002 shall be deemed to be placed in the revised Pay Band or scale of Rs.9300-34800 (PB-2) plus Grade Pay Rs. 4600 from the date of such appointment or promotion;

(iv) All the officers, who though were appointed or promoted to Grade II post of Statistical Investigator on regular basis in the pre-revised scale of Rs. 6500-10,500 after 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, under Subordinate Statistical Service (Group B) Rules, 2002 but were occupying the posts of Grade III of SSS as on 1.1.2006 shall also be deemed to have appointed to Grade II of Service in the revised Pay Band/Scale of Rs. 9300-34,800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4200 and re-designated as Statistical Investigator Grade II w.e.f. 1.1.2006;

(v) All the officers, who though were appointed/promoted to Grade III posts of Statistical Investigator on regular basis in the pre-revised scale of Rs. 5500-9000 after 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, under Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002 but were occupying the posts of Grade IV of SSS as on 1.1.2006 shall also be deemed to have appointed to Grade II of Service in the revised Pay Band or Scale of Rs. 9300-34,800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4200 and re-designated as Statistical Investigator Grade II w.e.f. 1.1.2006;

(vi) All the officers who were appointed/promoted to Grade IV posts of Statistical Investigators on regular basis in the pre-revised scale Rs. 5000-8000 after 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, under Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002 shall also be deemed to have been appointed to Grade II of the Service in revised Pay Band or scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 from the date of such appointment or promotion;

(vii) Those candidates who could not be absorbed in accordance with Subordinate Statistical Service (Group B-Gazetted) Rules, 2002 and Subordinate Statistical Service (Group C) Rules, 2002 may be considered for absorption in the appropriate grade, depending upon the availability of vacancies, in accordance with Rules 3(v) of the rules on the recommendation of the Selection Committee specified in sub-rule (viii);

(viii) The appointment and absorption of incumbent(s), whose post(s) will be en-cadered after initial constitution of the service, will be considered on the recommendation of a Selection Committee, consisting of Deputy Director General (DDG) of Central Statistical Office (CSO) as chairman and three other members, not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India, to be constituted by the Controlling Authority.

Schedule II

[See Rule 6(2)]

The method of recruitment, field of selection for promotion or absorption and the minimum qualifying service in the lower grade or grades for promotion or absorption to Group "B" duty posts of Subordinate Statistical Service (SSS).

S.No.	Name of post	Method of Recruitment	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
1.	Statistical Investigator Grade I	**<u>100% by promotion as under:</u>** (i) 70% vacancies to be filled by promotion on Selection basis; (ii) 30% vacancies to be filled on the basis of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE), failing which by promotion on Selection basis. LDCE to be conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation as specified in Scheduled- VI. Provided that no departmental examination shall be held and the post shall be filled 100% by promotion till all the incumbents holding post of Statistical Investigator Grade-II with combined regular service of ten years or more in Grade II in PB-2, Rs. 9300 -34800 with Grade Pay of Rs. 4200 and in the erstwhile Grade III (pre-revised scale of Rs. 5500 – 9000) and in the erstwhile Grade IV (pre-revised scale of Rs. 5000 – 8000) on the date of commencement of these rules are considered for promotion to the post of Statistical Investigator Grade-I. Thereafter, the post shall be filled by the above method of recruitment.	(1) <u>For promotion on selection basis</u>: (i) Statistical Investigator Grade-II in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade; (ii) Statistical Investigator Grade-II in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with combined regular service of five years or more in Grade II in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 and in the erstwhile Grade III (pre-revised scale of Rs. 5500– 9000) and in the erstwhile Grade IV (pre-revised scale of Rs. 5000 – 8000). (2) <u>For promotion on the basis of LDCE</u>: Statistical Investigators Grade-II in PB-2, Rs.9300-34800/-with Grade Pay of Rs. 4200 with 5 years regular service in the grade and have completed the probation successfully shall be eligible for Limited Departmental Competitive examination.
2.	Statistical Investigator Grade II	(i)10% by promotion on Selection basis or by absorption failing which by direct recruitment; (ii) 90% by direct recruitment	**(i) For promotion:** Officials in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800 with six years of regular service in the grade or officials in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2400 with ten years of regular service in the grade in different Ministries/Departments recognized by

			the Controlling Authority as feeder grade posts considering statistical functions, shall be eligible for promotion to Statistical Investigator Grade-II. **(ii) For absorption**: Officials in Pay Band-2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200 with three years of regular service in the grade in different Ministries/ Departments recognized by the Controlling Authority as feeder grade posts considering statistical functions, shall be eligible for absorption in the post of Statistical Investigator Grade-II. **(iii) For direct recruitment:** The educational qualifications and age limit for direct recruitment shall be as specified in **Schedule III** annexed to these rules

Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Schedule III

[*See Rule 6(3)*]

Minimum educational and other qualifications and age limit for direct recruits to Statistical Investigator Grade II duty posts in Subordinate Statistical Service

Age Limit:

Not exceeding 32 years

(Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government in this regard from time to time)

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of the application from candidates in India and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of J and K State, Lahol and Spiti District, Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational qualification:

A candidate for direct recruitment to the grade of Statistical Investigator Grade-II of the service must have obtained the following educational qualifications, namely:-

(a) Bachelor's Degree in any subject from a recognised University or Institute with at least 60% in Mathematics at 12th standard level;

Or

(b) Bachelors Degree in any subject with Statistics as one of the subjects at degree level.

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Schedule IV

[*See Rules 2(d) and 6(4)*]

Group "B" Departmental Promotion Committees for considering the cases of promotion or confirmation in Group "B" posts in Subordinate Statistical Service

---

A. For considering promotion

The Committee consists of:-

1. Additional Director General, CSO, M/o Statistics & PI - Chairman
2. Deputy Director General, NSSO, M/o Statistics & PI - Member
3. Deputy Secretary/Director, SSS Division, M/o Statistics & PI - Member

B. For considering confirmation the Committee consists of:-

1. Deputy Director General, CSO, M/o Statistics & PI - Chairman
2. Director, FOD, M/o Statistics & PI - Member
3. Deputy Secretary/Director, SSS Division, M/o Statistics & PI - Member

Schedule – V
[See Rules 6(1)]

LIST OF MINISTRIES / DEPARTMENTS / ORGANISATIONS WHERE STATISTICAL INVESTIGATOR GRADE I & II POSTS EXIST (ENCADRED IN SSS)

S.No.	Name of the Ministry/Department/Organisation	Statistical Investigator Grade -I	Statistical Investigator Grade -II
1	Ministry of Agriculture		
	Dept. of Agriculture & Cooperation	10	8
	Commission for Agrl. Costs & Prices	4	2
	Dte. Of Marketing Inspection	4	5
	Dte. Of Plant Protection & Storage	1	0
	Dte. Of Economics & Statistics	12	26
2	Ministry of Chemical & Fertilizers		
	Dept. of Chemicals & Petrochemicals	2	3
	Department of Fertilizers.	1	1
3	Ministry of Civil Aviation		
	Director Gen. of Civil aviation	2	2
4	Ministry of Commerce & Industry		
	Director Gen. of Supply & Disposal	9	19
	Dir. Gen. of Foreign Trade	2	0
	Department of Industrial Policy & promotion	0	2
	O/o the Economic Adviser, D/o Industrial Policy & Promotion, M/o Commerce & Industry.	2	2
5	Ministry of Communication & IT		
	Department of Posts	0	4
6	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution		
	Dept. of Food & Public Distribution	2	1
	Dept. of Consumer Affairs	4	6
	Dept. of Vanaspati, Veg. Oils & Fats	0	2
7	Ministry of Culture		
	Anthropological Survey of India	6	8
8	Ministry of Development of North Eastern Region	2	3
9	Ministry of Finance		

	National Savings Institute	0	1
	Dept. of Expenditure	5	0
10	Ministry of Health & Family Welfare		
	Directorate General of Health Services (DGHS).	31	48
	Central Leprocy Training Institute (CLTI).	0	2
	Central Bureau of Health Institute (CBHI).	0	18
	National Tuberculosis Institute (NTI)	0	5
	Central Research Institute (CRI)	0	2
	All India Institute of Hygiene and Public Health (AIIH&PH)	4	0
	Department of AYUSH	2	0
	National Centre for Communicable Diseases (NCDC)	2	8
11	Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises		
	Bureau of Public Enterprises	3	0
12	Ministry of Home Affairs		
	National Crime Record Bureau	0	1
	Bureau of Police Research & Development	2	0
13	Ministry of Human Resource Development		
	Dept of Higher & Secondary Education	10	5
14	Ministry of Information & Broadcasting		
	Registrar of News Papers of India	1	2
15	Ministry of Labour and Employment	0	3
	Labour Bureau	8	24
	Dir. Gen of Mine Safety	6	9
	D.G.of Employment & Training	12	18
	D. G. of Factory Advise and Labour Institute	1	1
16	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises		
	Dev. Comm. Of Small Industry Service Institute	38	1
17	Ministry of Mines		
	Indian Bureau of Mines	19	47
18	Ministry of Petroleum & Natural Gas	1	1
19	Ministry of Planning		
	Planning Commission	2	3
	Programme Evaluation Organisation	2	2
20	Ministry of Road Transport and Highways	3	3
21	Ministry of Rural Development	11	11
22	Ministry of Statistics & Programme Implementation		
	NSSO(FOD)	1452	1775
	Central Statistics Organisation	55	86
	Coordination & Publication Division	2	1
23	Ministry of Water Resources	0	1
	Central Water Commission	11	14

24	Ministry of Power		
	Central Electricity Authority of India	2	0
25	Ministry of Urban Development		
	National Buildings Organisation	4	0
26	M/o Development of North Eastern Region	2	3
	Total *	**1754**	**2189**

*Subject to variation depending upon the work load.

SCHEDULE –VI

[See Rules 6(5)]

DETAILS OF LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION (LDCE)

1	Examination	Limited Departmental Competitive Examination for promotion from Statistical Investigator Grade II (G.P 4200) [Group B Non Gazetted] to Statistical Investigator Grade I (GP 4600) [Group B Gazetted] of Subordinate Statistical Service (SSS).	
2	Scheme of Examination	A. Written	
		Paper – I.	General awareness and Aptitude test, 2 Hours duration and 100 Marks.
		Paper – II	Basic and Official statistics 2 hours duration and 100 Marks.
		B- Evaluation of Annual Performance Appraisal Reports of five years preceding the year of Examination	50 Marks.
3	. Centre for examinations		Delhi, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Bangalore, Chennai, Kolkatta and Guwahati and any other Centre as may be specified by the Controlling Authority from time to time

NOTE: No waiting list shall be maintained.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005